40 (371)

[redacted]

Ref. Sr. No. 17

31/18
3/12/11

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंन्त्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ऐ
चण्डीगढ़160030
दिनांक 02.12.2011

फाईल नम्बर:-9-HPB361/2010-CHA/9834.

सेवा मे,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
सिविल सचिवालय,
शिमला ।

विषय:- Diversion of 3.204 hectare of forest land in favour of HPPWD for construction of Motorable road from Slapper to Tattapani (Kms. 13/300 to 17/300) within the jurisdiction of Suket Forest Division Sundernagar and Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संम्बन्धित नोडल आफिसर एवं मुख्य वन संरक्षक (FCA) शिमला के पत्र संख्या Ft. 48-1891/2009 (FCA) दिनांक 10.06.2010 & 08.11.2011 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 3.204 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी ।
2. कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार छः सौ इक्कीस वृक्षों से अधिक नही होगी ।
3. प्रतिपूर्ती पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **DPF Dhawal C-IV** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रूपये 8,43,912/- (आठ लाख तैतालीस हजार नौ सौ बारह मात्र) की राशि से कुल **6.408** हैक्टेयर भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा । **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।**
4. प्रस्तावित सडक के दोनों ओर, जहां भी संभव हो, सडक के निर्माण के एक वर्ष के अन्दर एवेन्यु पौधारोपण प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर किया जायेगा ।
5. साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय/पूर्वऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे ।
6. मलबे का प्रयोग स्थानीय रूप से पुश्ता-दिवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढों को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा । इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा ।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

Contd. 2/

8. यदि कोई अन्य संबंधि... अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्या सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

भवदीय
(ईश्वर सिंह)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)
AC

प्रतिलिपिः-

1. अपर वन महानिदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी. जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला ।
3. Divisional Forest Officer, Suket Forest Division Sundernagar, Distt. Mandi, Himahcal Pradesh
4. Executive Engineer, Sundernagar Division , HPPWD Sundernagar, Himachal Pradesh.
5. गार्ड फाईल ।

S/FCA
CCF FCA 08
12.12.11

23625
13/12/11

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Endst. No. Ft.48-1891/2009 (FCA) Dated Shimla-1,the

Copy is forwarded to :-

1. CF Mandi
2. DFO Suket, Distt Mandi H.P
3. Executive Engineer, Sundernagar Division, HPPWD, Sundernagar,H.P

for information and necessary action. It may be ensured that no violation FCA,1980 ~~is~~ takes place.

14.12.11
Nodal officer-cum- CCF(FCA&P)
O/o Pr.CCF, H.P. Shimla-1

Himachal Pradesh
Public Works Department
No. PW-SN-R-WA R-27/11- 11656 Dated- 23-1..
Copy forwarded to the Assistant Engineer Suket H.P.P.W.D. Sunder Nagar for information and necessary action.

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

42

Ref. Sr. No.-17

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017 Dated Shimla-171002, the 17-05-2018

Order

Sub :- **Diversion of 2.717 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Slapper to Tattapani Road (Km 25/490 to 30/690), under NABARD within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt.Mandi, H.P.**

11 76/24-5-18

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB.298/2013-CHA/94** dated 16-04-18 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.717 हैक्टेयर वन भूमि की **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF Nalehli in Jhungi Range में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **5.434** है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगा।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा
9. कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 397 वृक्षों से अधिक न हो।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

Contd./2

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

Ref. Sr. No.-17

13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए उस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसा
अतिरिक्त मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone) India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions co the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for infor
5. The Deputy Commissioner, Mandi Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Suket Forest Division, Distt.,Mandi H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, HPPWD Suket Distt. Mandi HP.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman)
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh

H.P.P.W.D.

No. PW-SNR/WA/R-27(STP-25-30)/17- 4699 Dated:- 01-06-18

Copy forwarded to the Assistant Engineer, Dehar Sub Division, H.P.P.W.D. Dehar for information and necessary action.

Executive Engineer,
Sunder Nagar Division,
HP.PWD Sunder Nagar.

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

[redacted] [redacted]

44

Ref. Sl. No.-17

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़160030

फाईल नम्बरः-9-HPB732/2012-CHA

1365
24/7/13

दिनांक 09.07.2013

सेवा मे,

प्रधान सचिव ,
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
सिविल सचिवालय,
शिमला ।

विषयः- Diversion of **4.868** hectares of forest land in favour of HPPWD for the construction of **Slapper to Tattapani** road (Km. 17/300 to 25/490), within the jurisdiction of Suket Forest Division at Sundernagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh

संदर्भ: (i) नोडल आफिसर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA), हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या Ft. 48-1931/2012 (FCA) दिनांक 06.12.2012 & 28.06.2013

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्रों का अवलोकन करें , जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की उपर्युक्त विषय के लिये अनुमति मांगी गई है ।

2 राज्य सरकार के प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **4.868 हैक्टेयर** वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी ।
ii. कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1600 वृक्षों से अधिक नही होगी ।
iii. प्रतिपूर्ती पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **DPF & UPF Ahan Sunali Kayan** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रूपये 15,04,080/- (पंद्रह लाख चार हजार अस्सी मात्र) की राशि से कुल 9.736 हैक्टेयर वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा । **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**
iv. Submission of undertaking by the user agency to pay the additional NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India be obtained & sent to this office before commencement of work on forest land.
v. No labour camp shall be established on the forest land;
vi. The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
vii. The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area;
viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
ix. पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 11-48/2002-FC दिनांक 29/30 अप्रैल 2005,

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar

45

Ref. Sr. No.-17

(1)

x. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजैंसी की जिम्मेवारी होगी ।

3. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को रद्द कर सकता है । राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी ।

भवदीय

(ईश्वर सिंह)
I/C अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलैक्स, ल नई दिल्ली ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सरकार , वन विभाग, टालैंड, शिमला ।
3. Divisional Forest Officer, Suket Forest Division Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.
4. Executive Engineer, Sundernagar Division, HPPWD Sundernagar, Himachal Prad
5. गार्ड फाईल ।

Endst. No. 3173-74 Dt. 20..

1. Copy is forwarded to R.O. Ka... information + further necessary act...
2. XEN, HPPWD, Division, Sun... for information.

DFO Suket

Himachal Pradesh Public Works Department
N. PW. SN. R WA R-27-17/300 to 25/490/13. 5682
Copy forwarded to The Assistant Engineer Sub-Division P/U. HPPWD. Dehar for information necessary action.

Executive Engineer, Sundernagar Division HPPWD. Sundernagar

Executive Engineer
Sunder Nagar Division
H.P.P.W.D. Sundernagar